भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1643

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
राज्यों में औद्योगिक कार्यकलाप बढ़ाना

1643. श्री कृष्णपाल सिंह यादव:
डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:
श्री सत्यदेव पचौरी:
श्री सी.पी.जोशी:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल:
श्री मनोज कोटक:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटिल:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री बसंत कुमार पंडा:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने तथा और अधिक औद्योगिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) राज्यों में विशेषकर राजस्थान और हरियाणा में, मंद व्यवसायिक कार्यकलाप की समस्या को सुधारने और इन्हे बढ़ाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं;
(घ) भारत में व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप व्यापार करने में सुगमता के संबंध में क्या रैंकिंग प्राप्त हुई है;
(ङ) पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निवेशकों से संबंधित स्वीकृतियों को सुकर बनाने में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा सृजित राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल की क्या भूमिका है; और
(च) क्या रोजगार के स्तर को बढ़ाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बहुत महत्वपूर्ण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत, 25 सितंबर, 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य निवेश की प्रक्रिया में सहायता करना, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। एक सशक्त विनिर्माण क्षेत्र का विकास, भारत की सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।

अपनी शुरुआत से 'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0, के अंतर्गत 27 क्षेत्रों **(अनुबंध-I)** पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है जिसे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया जाता है, जा रहा है। वि भिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनस में सुधार, एफडीआई नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी हेतु उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों **(अनुबंध-II)** के लिए पीएलआई स्कीमों की घोषणा की गई है। पीएलआई स्कीमों की घोषणा के साथ अगले 5 वर्षों और आने वाले वर्षों में उत्पादन व रोजगार में पर्याप्त वृद्धि और आर्थिक विकास होने की उम्मीद की गई है।

(ख) : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें कुछ रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्रों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत (सरकारी अनुमोदन के बिना) 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। एफडीआई अंतर्वाह लगभग 90 प्रतिशत का स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त हुआ है। भारत ने एफडीआई सीमा को बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को हटाकर, अवसंरचना का विकास कर तथा व्यवसायिक वातावरण में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेश अनुकूल गंतव्य बना रहे, इसके लिए सरकार, नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और शीर्ष औद्योगिक चैम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करके उनके विचार/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस नीति में समय-समय पर परिवर्तन करती है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसंपत्ति पुनर्निर्धारण कंपनियां, ब्रॉडकास्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स कार्यकलाप, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन, आदि से संबंधित एफडीआई नीति के प्रावधानों को निरंतर उदार और सरल बनाया गया है। हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों की एफडीआई नीति में सुधार शुरु किए गए हैं।

(ग) : उद्योग मुख्य रूप से राज्य का विषय है। केंद्र सरकार, देश में वाणिज्यिक कार्यकलाप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों के जरिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं। इनमें आत्मनिर्भर पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अंतर्गत निवेश के अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट लॉन्च, एफडीआई नीति का उदारीकरण आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है। उपर्युक्त सभी पहलों/स्कीमों को राजस्थान और हरियाणा सहित केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, अत्यधिक दक्षता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए 14 क्षेत्रों **(अनुबंध-II)** हेतु पीएलआई स्कीमों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये स्कीमें, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पीएलआई स्कीम की देश के एमएसएमई इकोसिस्टम पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में विकसित की जाने वाली प्रमुख इकाइयों से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नए आपूर्तिकर्ता/वेंडर आधार बनने की संभावना है। इनमें से अधिकांश एमएसएमई क्षेत्र की सहायक इकाइयों के बनने की संभावना है।

(घ) : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के तहत पहलों के समन्वय के लिए नोडल विभाग है, जिसका उद्देश्य भारत में

अनुकूल व्यवसाय परिवेश सृजित करना है। मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारत में ईओडीबी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) गवर्नमेंट टु बिजनस और सिटिजन इंटरफेस का सरलीकरण, युक्तिकरण, डिजिटलीकरण और गैर-अपराधीकरण करके व्यवसाय और नागरिकों संबंधी अनुपालन बोझ को कम करना।

(ii) व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) नामक वार्षिक कार्यक्रम के तहत निर्धारित सुधार मानदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आकलन करना। कुछ सुधार क्षेत्र इस प्रकार हैं: निवेश एनेबलर्स, सूचना तक पहुंच और पारदर्शिता, ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, भूमि आबंटन, निर्माण परमिट एनेबलर्स, श्रम विनियम एनेबलर्स, पर्यावरण पंजीकरण एनेबलर्स, निरीक्षण एनेबलर्स, उपयोगिता परमिट प्राप्त करना, संविदा लागू करना, क्षेत्रगत विशिष्ट सुधार कार्य इत्यादि।

अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित विश्व बैंक की अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 में भारत का 63वां स्थान था। पांच वर्षों की अवधि के दौरान, डीबीआर में भारत 79 रैंकों का सुधार दर्ज करते हुए वर्ष 2014 में 142 से वर्ष 2019 में 63वें पायदान पर पहुंच गया।

(ङ) : नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का 22 सितंबर, 2021 को सॉफ्ट लांच किया गया था। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सभी जी2बी मंजूरियों के लिए आवेदन हेतु एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल की भारत में पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख मॉड्यूल और कार्य प्रणालियां हैं जो निम्नानुसार हैं :

- **नो योर अप्रूवल (केवाईए):** यह सभी 32 केंद्रीय विभागों और 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में संगत व्यवसाय अनुमोदन की पहचान करने के लिए बिजनेस हेतु एक सुविचारित प्रश्नावली है। एनएसडब्ल्यूएस का केवाईए मॉड्यूल विशिष्ट व्यवसाय मामलों के लिए आवश्यक अनुमोदन की एक व्यापक सूची उपलब्ध कराता है।
- **एकीकृत आवेदन प्रणाली:** दस्तावेजों सहित सामान्य जानकारी को एक बार ही एकत्र किया जाता है और फिर इसे सभी फॉर्म और प्लेटफार्म में एक साथ जोड़ा जाता है।
- **सभी मंत्रालयों और राज्यों में अनुमोदन की स्थिति का पता लगाने के लिए सिंगल यूजर डैशबोर्ड है** जो आवेदन की स्थिति का पता लगाकर व्यवसाय को आसान बनाता है।
- वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा निगरानी और ट्रेक उपयोग, आवेदन की स्थिति आदि के लिए **डैशबोर्ड और संसूचित करने की क्षमताएं।**
- **आवेदनों के लिए ऑनलाइन भुगतान सहायता:** पेगोव (एमईआईटीवाई), भारतकोश, एसबीआई पेमेंट गेटवे को निर्बाध भुगतान अनुभव प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है।
- **डिजिटल हस्ताक्षर:** एनएसडब्ल्यूएस, बिजनेस के साथ-साथ लाइसेंसिंग अधिकारियों को आवेदनों के सुव्यवस्थित प्रोसेसिंग के साथ-साथ बिजनेस करने की सुविधा के लिए अपने दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाता है।
- **केंद्रीकृत शिकायत समाधान तंत्र:** एनएसडब्ल्यूएस हेल्पलाइन के माध्यम से 32 केंद्रीय मंत्रालयों में सभी प्रकार की "ग्राहक सहायता" को केंद्रीकृत किया गया है। इससे व्यवसाय तकनीकी सहायता, लाइसेंस संबंधी सूचना और शुल्क से संबंधित विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

इन सभी घटकों के कारण निवेशकों को समय, प्रयास और लागत में कमी का अनुभव हुआ है।

(च) : जी, हां। एमएसएमई रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। इसने उद्यमिता को बढ़ावा देने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत

पर कृषि क्षेत्र के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करते हुए देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की 73वीं रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 11.10 करोड़ रोजगार (विनिर्माण क्षेत्र में 360.41 लाख, व्यापार क्षेत्र में 387.18 लाख और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में 362.82 लाख सहित) सृजित किए हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (केवाईसी) के जरिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन किया है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में देश के उद्यमियों को सहायता प्रदान करते हुए परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण तथा शहरों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2008-2009 से दिनांक 30.11.2023 तक देश में लगभग 9.16 लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, इससे अनुमानित 74.87 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

*****

अनुबंध-।

दिनांक 13.12.2023 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1643 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत 27 क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित है:

विनिर्माण क्षेत्र

(i) एरोस्पेस और रक्षा
(ii) ऑटोमोटिव और ऑटो पुर्जे
(iii) फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
(iv) जैव-प्रौद्योगिकी
(v) पूंजीगत सामान
(vi) वस्त्र और परिधान
(vii) रसायन और पेट्रो-रसायन
(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)
(ix) चमड़ा और फुटवियर
(x) खाद्य प्रसंस्करण
(xi) रत्न और आभूषण
(xii) शिपिंग
(xiii) रेलवे
(xiv) निर्माण
(xv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

(i) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
(ii) पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
(iii) मेडिकल वैल्यू यात्रा
(iv) परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
(v) लेखांकन और वित्त सेवाएं
(vi) ऑडियो विजुअल सेवाएं
(vii) विधायी सेवाएं
(viii) संचार सेवाएं
(ix) निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
(x) पर्यावरण संबंधी सेवाएं
(xi) वित्तीय सेवाएं
(xii) शिक्षा संबंधी सेवाएं

*****

अनुबंध-।।

दिनांक 13.12.2023 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1643 के भाग (क) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध

निम्नलिखित 14 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम मौजूद है:

1. मोबाइल विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे (व्यापक स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण),
2. महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडियरीज और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री,
3. चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण
4. ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे,
5. फार्मास्यूटिकल्स औषधियां
6. स्पेशिएलिटी स्टील,
7. दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद,
8. इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद (आईटी हार्डवेयर),
9. व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी),
10. खाद्य उत्पाद,
11. वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ सेगमेंट और तकनीकी वस्त्र,
12. उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल,
13. एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी और
14. ड्रोन और ड्रोन के घटक।

*****